

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संवेदक Kumari Lalita Singh(Regd. No-1220131), Add-W/O-Anil Kumar Singh, Vill-Basantpur, PO-Karwandiya, PS-Sasaram, Dist-Rohtas, Pin-821305 के निबंधन को विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 10262 दिनांक 24.09.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने के विरुद्ध दिनांक 03.10.2025 को समर्पित अपील अभ्यावेदन के सापेक्ष सुनवाई के संबंध में।

आदेश

17/10/2025

संवेदक Kumari Lalita Singh, Add-W/O-Anil Kumar Singh, Vill-Basantpur, PO-Karwandiya, PS-Sasaram, Dist-Rohtas, Pin-821305 एवं विभाग की ओर से कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सासाराम-01 उपस्थित।

प्रस्तुत मामला संवेदक Kumari Lalita Singh द्वारा कार्य प्रमंडल, सासाराम-01 के अधीन मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजनान्तर्गत निविदा(टेन्डर आई0डी0-140488) में फर्जी कार्यानुभव प्रमाण पत्र समर्पित किये जाने के कारण बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के तहत संवेदक के निबंधन को विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 10262 दिनांक 24.09.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने से संबंधित है।

उक्त कालीकरण आदेश के विरुद्ध संवेदक द्वारा दिनांक 03.10.2025 को अपना अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण निम्नरूपेण है:-

1. प्रश्नगत निविदा में संवेदक द्वारा Construction of HL RCC Bridge in 5th km of Balthi Musharniyan Road के निर्माण से संबंधित वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, कार्य प्रमंडल, सहरसा का पत्रांक 74 दिनांक 17.01.2022 द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित किया गया।
2. उक्त अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, कार्य प्रमंडल, सहरसा का पत्रांक 620 दिनांक 12.06.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त अनुभव प्रमाण पत्र उनके कार्यालय से निर्गत नहीं किया गया है।
3. तदालोक में निविदा में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में निहित प्रावधान के तहत संवेदक को विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 10262 दिनांक 24.09.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया गया है।
4. उक्त कालीकरण आदेश के विरुद्ध संवेदक द्वारा दिनांक 03.10.2025 को समर्पित अपील अभ्यावेदन में बताया गया है कि साईबर कैफे द्वारा भुलवश फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड हो गया है।

संवेदक द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन के सापेक्ष सुनवाई के क्रम संदर्भित निविदा में फर्जी कागजात समर्पित किये जाने के संबंध में क्षमायाचना करते हुए तथा इसकी पुनरावृत्ति नहीं किये जाने का आश्वासन दिया गया।

वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर संवेदक Kumari Lalita Singh(Regd. No-1220131) द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन पर विचार करते हुए विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 10262 दिनांक 24.09.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने की अवधि को घटाकर 03(तीन) महीने के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

तदनुसार वाद निष्पादित।

(दीपक कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-236/2025 11251

/पटना, दिनांक- 3.11.25

प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजय कुमार)

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-236/2025 11251

सरकार के संयुक्त सचिव
/पटना, दिनांक- 3.11.25

प्रतिलिपि- सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-236/2025 11251

/पटना, दिनांक- 3.11.25

प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं अभियंता प्रमुख के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-236/2025 11251

/पटना, दिनांक 3.11.25

निबधित

प्रतिलिपि:- संवेदक Kumari Lalita Singh, Add-W/O-Anil Kumar Singh, Vill-Basantpur, P.O-Karwandiya, P.S-Sasaram, Dist-Rohtas, Pincode-821305 को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-236/2025 11251

/पटना, दिनांक- 3.11.25

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव